

Handed as per order of 12/1/56 of the Asst. Registrar  
Aurangabad.

No. 34

# Certificate of Registration




The Societies Registration Act, 1860  
(ACT XXI OF 1860).

Registration No. PN-166

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT Shri. Gurus Chanesht Shri.  
Jain Shiksha Samiti - 06 Parus Dist. Parbhani

is this day been duly registered under the Societies  
Registration Act, XXI of 1860.

Given under my hand this  
day of 27<sup>th</sup> Jan 1956.



*Dr. F. Y. Yusuf*  
Dr. Mohd. Fargan Mohd. Yusuf  
DEAN / PRINCIPAL  
DKMM Homoeopathic Medical  
College & Hospital, Aurangabad

*u*  
Assistant Registrar of Societies,  
Aurangabad Region.

मा.सं.स.प.स. सं. १५५ आ.प.स. मा.सं.स.प.स. सं. १५५/०५  
डिप्लोमा अत्रा मधील दिनांक २२-१२-२०२१ रोजी २३/१०/२१  
द्वारे प्रमाणपत्र देण्यात येते.

उत्तम प्रमाणपत्र

सहाय्यक धर्मोदाय आयुक्त  
बाळना विभाग बाळना

नोंदणीचे प्रमाणपत्र  
मा.सं.स.प.स. सं. १५५ आ.प.स. मा.सं.स.प.स. सं. १५५/०५  
द्वारे प्रमाणपत्र देण्यात येते की, झाली वर्णन केलेली सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था ही आज, मुंबई  
द्वारे प्रमाणपत्र देण्यात येते की, झाली वर्णन केलेली सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था ही आज, मुंबई

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० (सन १९५० च्या मुंबई अधिनियम क्रमांक २९) या  
अन्वये.....

नोंदणी कार्यालयात योग्य रीतीने नोंदण्यात आली आहे.

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थेचे नाव..... श्री. शुकु मणेबा.....  
जेंव..... श्री. शुकु मणेबा.....

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थांच्या नोंदणी पुस्तकातील क्रमांक..... ५६००५ (परतुली)  
..... ५६००५ (परतुली)  
..... ५६००५ (परतुली) यांचे प्रमाणपत्र दिले.

आज दिनांक..... २५.१२.२१ रोजी माझ्या सहीनिशी दिले.



सही.....  
सहाय्यक धर्मोदाय आयुक्त  
बाळना विभाग बाळना

Dr. Mohd. Farqan Mohd. Yusuf  
DEAN/ PRINCIPAL  
DKMM Homoeopathic Medical  
College & Hospital, Aurangabad

398/2  
 अ.प.क. - (J) Ya 18-17,500 (175 bks.) - 261  
**CERTIFICATE OF REGISTRATION**  
 P.T. No. 13/66  
 N° 10247  
 F-238 Jalna  
 P. T. R. Office Aurangabad, Regum  
 Aurangabad.  
 Name of P. T. Shri Gurus Ganesh  
 Sitnakwasi Jain Smarak  
 Samiti at Parluw to Dist. Parbhani  
 Reg. No. F-45 (Parbhani)  
 To whom issued Shri Phulkharaj  
 Ghamandison R/o Sadar  
 Bajar Jalna, Dist. Jalna  
 Date 23-4-1966 Dist. Aurangabad  
 सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय  
 जालना विभाग, जालना  
 Copy Prepared by  
 Copy Read by  
 Copy Verified by

Dr. Mohd. Furqan Mohd. Yusuf  
 DEAN/ PRINCIPAL  
 DKMM Homoeopathic Medical  
 College & Hospital, Aurangabad



श्री गुरुगोशा स्थानकवासी जैन स्मारक समिति, परतूर

पत्र क्रमांक 396/14  
जिंदगारके नं० 85/87  
ककल तयार दि. 21/6/24  
ककल दिली तो दि. 10/6/24

(1)

- (1) संस्थाका नाम :- श्री गुरुगोशा स्थानकवासी जैन स्मारक समिति।
- (2) संस्थाका पूरा पता :- श्री गुरुगोशा स्थानकवासी जैन स्मारक समिति,  
परतूर, जिल्हा - परभणी (पंढरगड)।
- (3) संस्थाने उद्देश्य :- सामाजिक न्याय नोंदणी कार्यालय  
जालना विभाग, जालना।

- क) अहिंसा संस्कृति एवं सत्यता का संरक्षण, संवर्धन, प्रचार-प्रसार करना।
- ख) जैनगमों की मूलभाषा प्राकृत, अर्द्ध भाषा एवं संस्कृत एवं राजपूभाषा हिन्दी का सर्वांगीण विकास करना।
- ग) पुन्य साधु साध्वीवृन्द के अध्ययनार्थ उचित स्थल पर सिद्धार्थ स्थापित करना।
- घ) पुस्तकालय, वक्त्रालय, पाठशाला, छात्रालय, अनाथालय, समाजोपयोगी संस्थाएँ स्थापित करना।
- ङ) महिलाओं के जीवन विकास हेतु श्राविकाश्रम का निर्माण करना।
- च) समाज के उत्थानके लिए सत्प्रवृत्तियों एवं ग्रामोद्योगिक संस्थाएँ बनाना।
- छ) जैन स्मारकके होम्बडन छात्रोंको विशिष्ट छात्रवृत्तियाँ प्रदानकर संस्कृत एवं प्राकृत के पैठ विधान तैयार करना।
- ज) स्थान-स्थान पर धार्मिक शिक्षाएँ की व्यवस्था करना।
- झ) आध्यात्मिक विकास हेतु स्वाध्याय मण्डल चालू करना।
- ञ) अहिंसा के प्रचार-प्रसार का समुचित प्रबंध करना।
- ट) जैनगम-जैन दर्शन के अलम्य ग्रंथोंका संग्रहन, प्रकाशन करना।
- ठ) धार्मिक, आध्यात्मिक पत्रिका का प्रकाशन करना।
- ड) संस्थाके सदुपदोष्टम तपस्वी मुनि श्री मिश्रीलालजी महाराजके योग्य प्रतीत हो ऐसे समाजोपयोगी प्रवृत्तियोंका प्रचार

Dr. Mohd. Nazam Mohd. Yusuf  
DEAN/ PRINCIPAL  
DKMM Homoeopathic Medical  
College & Hospital, Aurangabad

संस्थाकी -अवल कर्मचारी समर्पित की व्यवस्था संस्थाके नियम  
निम्नानुसार करना, निम्नलिखित सदस्यों की जिम्मेवारी होगी।"



नाम	व्यवसाय	पता
श्री सेठ गुलाबचंद वदनमल सुराणा 37/21/27	व्यापार	२५ हिसामगंज, बुलाराम (हेदराबाद)।
(२) श्री उदेराज हरकचंदजी 34/22/27	व्यापार क्षेत्री	मु.पोस्ट - बीबी क्लहसी ल महकर (जिला-बुलढाना)।
(३) श्री भिकुलाल उमैदमल बाटिया 25/22/27	व्यापार	परभनी (मराठवाडा)।
(४) श्री पन्नालाल धनराज जैन	व्यापार	जालना (जिला औरंगा- बाद)
(५) श्री कल्याणमल अमोलकचंद जैन 27/21/27	व्यापार	परतूर, जिला-परभणी।
(६) श्री बंसी लाल फूलचंद जैन 28/21/27	व्यापार	परतूर, जिला-परभणी।
(७) श्री मुखराज भागचंद संवेली 28/21/27	व्यापार	लोणार, जिला-बुलढाना।
(८) श्री सुगनचंद धनराज जैन	व्यापार क्षेत्री	मु.पो.नेर, जिला - यवतमाल।
श्री मुखराज घमंडी राम जैन 21/27/27	व्यापार	जालना, जिला-औरंगाबाद
श्री घेवरचंदजी साबला	व्यापार	रखिवार पेठ, नासिक (जिला नासिक)।
श्री फकीरचंद शंकरलाल	व्यापार	जामनेर, जिला - जलगांव
श्री विरदीचंद लालचंद गेलडा	व्यापार	बौदवड, जिला - जलगांव
श्री पीरचंद हजारेड	व्यापार क्षेत्री	चांदूर रेल्वे, जिला - अमरावती।
श्री मानचंद लादूराम	व्यापार	कामारडूडी (हेदराबाद)।
(१५) श्री जम्बूकर रंजचंदजी संवेली	व्यापार	बुलढाना।

Dr. Mohd. Fuzan Mohd. Yusuf  
DEAN / PRINCIPAL  
DKMM Homoeopathic Medical  
College & Hospital, Aurangabad

(6)

हम निम्नलिखित हस्ताहारकर्ता श्री गुरुगोष्ठा स्थानध्वारी जैन स्मारक समिति को मेमोरण्डम ऑफ असोसिएशन के अनुसार रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं।



क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताहार
(1)	श्री गुलाबचंद वल्लभल सुराणा	अध्यक्ष	गुलाबचंद सुराणा
(2)	श्री उदेराज हरचंद रेदासणी	सुपाध्यक्ष	उदेराज हरचंद रेदासणी
(3)	श्री पुराण चण्डीराम	सेक्रेटरी	पुरवराज चण्डीराम
(4)	श्री बन्सीलाल फूलचंद जैन	असिस्टेंट सेक्रेटरी	बन्सीलाल फूलचंद जैन
(5)	श्री कल्याणराव अमोलचंद जैन	कोषाध्यक्ष	कल्याणराव अमोलचंद जैन
(6)	श्री भिस्मलाली जोदारानी बांटाया	सदस्य	भिस्मलाली जोदारानी
(7)	श्री पुखराज भागचंदजी सचिवी	सदस्य	पुखराज भागचंदजी सचिवी



दिनांक 21/6/2021

स्थान --

सबहारी -- (1) श्री

स्थान पत्र (जिला--परमनी)

हस्ताहार  
दिनांक - 29/9/22

आयुक्त  
सर्वजनिक न्याय नैसर्गिक कार्यलय  
जालना विभाग, जालना

श्री Keshunandul Kesarnab Bheraulji.  
स्थान पत्र (जिला - परमनी)

हस्ताहार  
दिनांक - 21-1-66

Dr. Mohd. Furqan Mohd. Yusuf  
DEAN/ PRINCIPAL  
DKMM Homoeopathic Medical  
College & Hospital, Aurangabad

True

Copy Prepared by  
Copy Read by  
Copy Verified by

21.6.21

92)



श्री गुरु गणेश स्थापकवासी जैन स्मारक सभित, परतूर  
के  
नियमोपनियम

*M. P. Yusuf*  
Dr. Mohd. Furqan Mohd. Yusuf  
DEAN/ PRINCIPAL  
DKMM Homoeopathic Medical  
College & Hospital, Aurangabad

श्री गुरु गणेश स्थानकवासी जैन स्मारक समिति, परतूर (जिला परभनी)



396/21  
 21/6/21  
 10/6/21

श्री गुरु गणेश स्थानकवासी जैन समाजके पुस्तक तपस्वी उगु विहारी श्री 1000 श्री गणेशलाल जी महाराज के सन्निध्य तपोनिष्ठ पं. मुनि श्री मिश्रीलाल जी महाराज के सद्गुदेश से दिनांक फरवरी, 1965 के रोज संस्थापित.)

संस्था के नियमोपनिषम
----------------------

प्रधानाधिकारी  
 21/6/21  
 प्राथमिक स्तर नैसर्गिक कार्यालय  
 चालना विभाग, जालना :-

इस संस्था का नाम, श्री गुरु गणेश स्थानकवासी जैन स्मारक समिति रहेगा.

2 कार्यालय :- संस्था का कार्यालय वर्तमानमें परतूर नगर जिला परभनी में रहेगा. किन्तु महती समा के दो विहाई सदस्यों की सम्मति से उचित स्थल पर परिवर्तन आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा.

3 धर्म :- इस संस्था का वर्ण प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक चतुर्दश तक माना जायगा.

- 4 उद्देश्य :-
- (क) भाईती संस्कृति एवं सत्यताका संरक्षण, संवर्द्धन, प्रचार-प्रसार क
  - (ख) जैनधर्मों की मूलभारता प्राकृत, अपूर्व भाषाधी एवं संस्कृत तथा - राष्ट्रभाषा हिन्दी का सर्वांगीण विकास करना.
  - (ग) पूज्य साधु साध्वी वृन्द के अध्ययनार्थ उचित स्थल पर सिद्धार्थ - शाळाएँ स्थापित करना.
  - (घ) पुस्तकालय, वाचनालय, पाठशाला, छात्रालय, अनाथालय आदि समाजोपयोगी संस्थाएँ स्थापित करना.
  - (ङ) महिलाओं के जीवन विकास हेतु आर्थिक-धर्म का निर्माण करना.
  - (च) समाज के उत्थान के लिए सत्सुविधियाँ एवं प्रामोदियों का संग्रह करना.
  - (छ) जैन समाज के होनहार छात्रों की विशिष्ट छात्रुवियाँ संस्कृत एवं प्राकृत के पुरात विद्धान तयार करना. जैनधर्म धर्म प्रेमी तथा संस्कारी होनहार छात्रों के निर्णय इस समिति के संस्कार दस्तिग 1000 श्री मिश्रीलाल जी महाराज परम्परामें बानेवाले एवं

Dr. Mohd. Furqan Mohd. Yusuf  
 DEAN/ PRINCIPAL  
 DKMM Homoeopathic Medical  
 College & Hospital, Aurangabad



(७)

- (ज) स्थान स्थान पर धार्मिक शिक्षण की व्यवस्था करना.
- (झ) आध्यात्मिक विकास हेतु स्वाध्याय मण्डल बालू करना.
- (ञ) अहिंसा के प्रचार-प्रसार का समुचित प्रबंध करना.
- (ट) जैनगम जैन दर्शन के अलम्य ग्रंथों का संपादन, प्रकाशन करना.
- (ठ) धार्मिक आध्यात्मिक पत्रिका का प्रकाशन करना.
- (ड) संस्थाके सदुपदेष्टा तपस्वी मुनि श्री मिश्रीलाल जी महाराज को योग्य प्रतीत हो, ऐसे समाजोपयोगी प्रवृत्तियों का संचालन करना.
- (ड) प्रकाशन कार्य के लिए प्रेस आदि की स्थापना करना और प्रोत्साहन दे कर रचनात्मक साहित्य का निर्माण करना.

५ कार्यक्षेत्र :- संस्थाके उद्देश्योंकी पूर्ति के लिए जिन स्थलों पर सत्प्रवृत्तियों का संचाल किया जायगा, वे स्थल संस्थाके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत माने जायेंगे.

६ संस्थाके सदस्योंका निम्न लिखित श्रेणियाँ होंगी :-

(अ) मूल आधारस्तंभ सदस्य श्रेणी : इसमें एक मुश्त रु ५००१-०० (रुपये - पाँच हजार एक) देने वालाका होगा.

(आ) आधारस्तंभ सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त रु १००१-०० (रुपये - एक हजार एक) या इससे अधिक देने वालाका समावेश होगा.

(इ) सहायक सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त या दो किश्तों में ५५१-०० (रुपये पाँच सौ अक्षय) प्रकाशन मात्र) देने वाला का सम् होगा.

(ई) आजीवन सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त या दो किश्तोंमें ५ (रुपये पाँच सौ एक) या इससे देने वालों का समावेश हो प्रतिकर्षण रु १०१-०० (रुपये प्रदान कर जो सञ्जन रु ५०१-०० की

जो सञ्जन

हान

Dr. Mohd. Furqan Mohd. Yusuf  
DEAN / PRINCIPAL  
DKMM Homoeopathic Medical  
College & Hospital, Aurangabad



आश्रयदाता सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुक्त २५१-०० रुपये दो सौ ५२  
या इससे अधिक धन देने वालों का समावेश  
होगा.

(ऊ) वार्षिक सदस्य श्रेणी: ₹ ११-०० (रुपये ग्यारह मात्र) प्रति वार्षिक  
द देने वालों का इसमें समावेश होगा.

(ए) मानद सदस्य : संस्थाको बौद्धिक अथवा अन्य प्रकार की  
सहायता देने वाले महानुभाव कार्यकारिणी  
की सम्मति से इस श्रेणी के सदस्य बनाये जा  
सकते हैं.

७ संस्थाके कार्य अंग : संस्था का कार्य सुव्यवस्थित चलाने के लिए महती सभा, कार्यकारिणी  
सभा और विश्वस्त-मण्डल ये तीन अंग होंगे.

८ महती सभा : (१) नियमोपनियम कौंडिका ६ के अन्तर्गत जो महानुभाव सदस्य बनें,  
इन सभी का समावेश महती-सभा के सदस्य के रूप में होगा.

(२) महती सभा के निम्न लिखित कार्य होंगे :-

(अ) कार्यकारिणी-सभा, विश्वस्त-मण्डल और अन्याय पदा-  
धिकारियों का निर्वाचन करना.

(आ) नियमोपनियम स्वीकृत करना.

(इ) संस्था की सम्पूर्ण सत्ता इस सभा के अधीन होगी.

(ई) महती सभा की बैठक  
करेगी, किन्तु विशेष स्थिति में मंत्री या क...  
एक त्रितियांश सदस्य की सम्मति से यह विशेष-बैठक  
बुलाई जा सकती है. ऐसी बैठक बुलाने के लिए बैठक-सूचना पत्र में  
स्पष्ट करना होगा.

(उ) महती सभा की वार्षिक बैठक की सूचना, पूर्व में १५ दिन  
पहले दी जायगी. (६)

(ऊ) महती सभा की बैठक के लिए कम-से-कम ग्यारह सदस्यों की  
गणना-पूर्ति आवश्यक होगी.

(ए) गणना-पूर्ति के अभाव में बैठक आध घंटे तक स्थगित रखी जाय  
तथा आध घंटे के बाद कथित बैठक उसी स्थान पर ले ली जायगी,  
तब बैठक के लिए गणना-पूर्ति आवश्यक न होगी. लेकिन ऐसी बैठक में  
जारी किये गये बैठक-सूचनाके अलावा विचारों पर बर्बाद न होगी.

(ऐ) सभी कार्य होंगे तो सर्व-सम्मति से किया जायगा अन्यथा  
सदस्यों के बहुमत होगा. बराबर मत पडने पर अध्यक्ष को एक

Dr. Mohd. Furqan Mohd. Yusuf  
DEAN/ PRINCIPAL  
DKMM Homoeopathic Medical  
College & Hospital, Aurangabad

(क) महती सभा की वार्षिक बैठक का तालिका स्वर्गाय्य पुस्तक की पुण्य-तिथि माघ व १० के अवसर बुलाई जायगी, ताकि उपस्थितियों को सदुपदेष्टा, पुढर तपस्वी दक्षिण केशरी मुनि श्री १००८ श्री मिश्री ठाल जी महाराज सा. के मार्गदर्शन का अलम्ब्य लाभ प्राप्त हो कर उद्देश्य की पूर्ति हो सके. (2)

९ कार्यकारिणी सभा : अधिकार और कर्तव्य :

(१) महती सभा द्वारा निर्वाचित ११ सदस्यों की यह सभा होगी.

(२) इस सभा की बैठक मंत्रीजी द्वारा सूचित स्थान पर प्रतिवर्ष महती-सभा की बैठक के एक दिन पूर्व या आवश्यकतानुसार बीच-बीच में भी बुलाई जा सकती है.

(३) कार्यकारिणी सभा की बैठक के लिए ५ सदस्यों की गण-पूर्ति होनी चाहिए. किन्तु नियत समय तक गण-पूर्ति न हो सकी तब १ घण्टे तक बैठक स्थगित रखी जायगी और उसके बाद उसी स्थान पर उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक की कार्यवाही पूरी होगी. किन्तु बैठक-सूचना पत्र में दिये गये विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर कार्यवाही नहीं की जा सकेगी.

(४) महती सभा के आदेशानुसार संस्था की समस्त प्रवृत्तियों का संचालन करना कार्यकारिणी सभा का उत्तरदायित्व होगा.

(५) अकस्मात् किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर आगामी महती सभा की बैठक तक अध्यक्ष महोदय उस स्थान के लिए किसी सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं.

(६) किसी कारणवश किसी वर्ष महती सभा की वार्षिक बैठक न हो सके तब की स्थिति में वर्तमान कार्यकारिणी आगामी महती सभा की बैठक होने तक पूर्ववत् कार्य चलायेगी, और जब महती सभा की बैठक होगी उस समय आगामी बैठक के लिए कार्यवाही करेगी.

(७) कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा.

महती सभा में प्रत्येक विचार-पद्धति से किया जायगा.

(८) संस्था के वैतनिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना, इस्काफ करना, वेतन-वृद्धि करना, आडिटर की नियुक्ति करना और उम्द करना, ये कार्य कार्यकारिणी के कक्ष में होंगे.

(९) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमोपनियम तयार करना & करना के लिए महती सभा के समक्ष प्रस्तुत करना कार्यकारिणी का मिक तथ

Dr. Mohd. Furqan Mohd. Yusuf  
DEAN/ PRINCIPAL  
DKMM Homoeopathic Medical  
College & Hospital, Aurangabad

(११) कार्यकारिणी सभा के <sup>13-08-20</sup> प्रवक्ताधिकारी महती सभा के भी पदाधिकारी होंगे.

१० विश्वस्त मण्डल : अधिकार और कर्तव्य : (13)

(१) संस्था की स्थावर जंगम सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए महती सभा द्वारा कुने गये सात स्थानस्वासी जैन समाज के सदस्यों का एक विश्वस्त-मण्डल होगा.

(२) संस्था की पूर्ण सम्पत्ति का प्रबंध करना अर्थात् धुवफण्ड किसी निश्चित प्रसिद्ध बैंक या पीढी पर रक्ता और आवश्यकतानुसार कानून की कार्रवाई वगैरा करना इसी विश्वस्त-मण्डल का कार्य होगा.

(३) संस्था की ओर से कानून की कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष महोदय का नियुक्त सज्जन होगा.

(४) अवानक किसी ट्रस्टी का स्थान रिक्त हो जाने पर आगामी महती सभा की बैठक तक यह मण्डल किसी सज्जन की नियुक्त ट्रस्टी रूप में कर सकेगा.

(५) विश्वस्त मण्डल को अपने अध्यक्ष और मन्त्री चुनने का अधिकार है

(६) कार्यकारिणी सभा की बैठक के अक्सर यह विश्वस्त मण्डल अपना कार्य विवरण पेश करेगा, ताकि उस आधार पर कार्यकारिणी सभा अक्ट तयार कर सके.

(७) संस्था की स्याई रक्कम में से व्यय करने का अधिकार विश्वस्त या कार्यकारिणी को नहीं होगा.

(८) वास्तविक सर्व से अधिक रक्कम उत्पन्न हो जाने पर भी किसी दूसरी संस्था के लिए उस रक्कम को व्यय करने का अधिकार विश्वस्त-मण्डल या कार्यकारिणी को नहीं होगा. किन्तु कार्य-क्षेत्र को और अधिक विज्ञात बनाने की योजना तयार की जायगी.

Dr. Mohd. Furqan Mohd. Yusuf  
DEAN/ PRINCIPAL  
DKMM Homoeopathic Medical  
College & Hospital, Aurangabad

११ संस्था के पदाधिकारी : संस्था में मुख्यतया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्री, सहमन्त्री, व्यवस्थापक और कोषाध्यक्ष रहेंगे.

१२ अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य :

(१) संस्थाका कार्य सुचारु और शान्ति से चलाना, संस्था की सम्पूर्ण कार्रवाई एवं सतिविधियों पर ध्यान रखना, अध्यक्ष महोदय का प्रधान कर्तव्य होगा.

(२) अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे प्रस्तावको जो अनिकारक एवं संस्था के उद्देश्य के प्रतिकूल हो तो बैंक

पृष्ठ ६

का कार्य करे, तो अध्यक्ष को अधिकार होगा कि उसे ऐसा करने से रोकें, या उस दिन की बैठक से उसे पृथक कर दें।

(१) संस्था सम्बंधी आवश्यक कार्रवाई करने एवं करने का भी उन्हें अधिकार होगा। आवश्यकता पड़ने पर वे संस्था के कार्यों से सम्बद्ध कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर भी करेंगे।

(५) संस्था के अध्यक्ष पर समान मत पड़ने पर, परिषद की अध्यक्षता करने की स्थिति में अध्यक्ष महोदय को एक पक्ष मत देने का अधिकार होगा।

उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य : (१) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था के समस्त कार्यों की देख-रेख करना और अध्यक्ष को प्राप्त सारे अधिकारों का उपयोग करना तथा कर्तव्य पूर्ति करना।

१४ मंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (१) संस्था की ओर से पत्र-व्यवहार करना।
- (२) अध्यक्ष महोदय की सम्मति से कार्यकारिणी बैठक बुलवाने का प्रबंध करना।
- (३) महिला और कार्यकारिणी सभा में कार्यकारिणी सभा की बैठकों में पारित प्रस्ताव करना।
- (४) महिला सभा और कार्यकारिणी सभा की समस्त प्रवृत्तियों का सम्मग रूप से संतुलन करना एवं कार्य सम्पन्न करने के लिये संस्था के अंग-सदस्यों द्वारा संस्था का सर्वांगीण विकास करना, मंत्री का कार्य होगा।

१५ सहमन्त्री के अधिकार और कर्तव्य :

- (१) मन्त्री महोदय के कार्यों में सहायता पहुंचाना।
- (२) मन्त्री महोदय की अनुपस्थिति में मन्त्री महोदय को प्राप्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना, सहमन्त्री का कर्तव्य होगा।

१६ व्यवस्थापक के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (१) संस्था के संतुलन में अनुभव रखनेवाले, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों के विशेष रूप से अधिकारी होंगे।
- (२) कार्यालय सम्बंधी उत्तरदायित्व का सम्भालना व्यवस्थापक का प्रधान कर्तव्य होगा।

Dr. Mohd. Furqan Mohd. Yusuf  
DEAN/ PRINCIPAL  
DKMM Homoeopathic Medical  
College & Hospital, Aurangabad

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (१) संस्था का आय-व्यय व्यवस्थित रखना.
- (२) महती समा और कार्यकारिणी एवं विश्वस्त मण्डल की सम्मति से कोष की समुचित व्यवस्था करना.
- (३) कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त आडिटर महोदय से संस्था का आय-व्यय परीक्षित करवा कर प्रतिवर्ष कार्यकारिणी के समक्ष रखें जिससे कार्यकारिणी उसे महती समा के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगी.



१८ वित्त :

- (१) बैंक का व्यवहार निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसी दो के हस्ताक्षरों से होगा.  
(अ) अध्यक्ष (आ) मन्त्री (इ) कोषाध्यक्ष.

(अ)

१९ धुव फण्ड :

मूल आधार स्तंभ और आधारस्तंभ सदस्यता श्रेणियों से प्राप्त होनेवाली सदस्यता की रकम धुव फण्ड के अन्तर्गत मानी जायेगी.

२० सदस्यता रद्द :

किसतों से रकम देने वाले सज्जनों की ओर से अगर लगातार दो साल तक किसत की रकम नहीं आई, तब उनका नाम सदस्यता श्रेणी से हटा दिया जायगा और प्राप्त रकम केवल दान खाते में प्रकाशित कर दी जायगी.

२१ नियमोपनियम संशोधन: इस संविधान के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन करने का अधिकार महती समा को होगा, महती समा अपनी बैठक बुलवा कर उसे प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत करेगी.

२२

इस संविधान की मान्यता अनुसार प्रसन्न तपस्वी, चारित ब्रह्म उग्र विहारी, दक्षिण देशरी, जैन धर्म दीपक, पंडित-रत्न श्री श्री १००६ श्री मिश्रीलालजी महाराज सा. ने समाज को जागृत कर जो महदुष्कार/उसका समाज विस्मृत नहीं कर सकेगा. अतः अश्रम कार्यकारिणी समा, महती समा, विश्वस्त मण्डल एवं - इस समिति की पदाधिकारी महाराज श्री की सूचनाएँ सदैव मान करेगे. संविधान ने यह भी निर्णय किया है कि इनके बाद इन परम्परामें इनके स्थान में इस समिति को

Dr. Mohd. Arifan Mohd. Yusuf  
DEAN / PRINCIPAL  
DKMM Homoeopathic Medical  
College & Hospital, Aurangabad

धुव फण्ड ध्यय करने का अधिकार: धुव फण्ड में एकत्र रक्कम को ध्यय करने का अधिकार कार्यकारिणी की होना इसके लिए उसे प्राप्त बैठके अधिकारों का उपयोग कार्यकारिणी को करे.

*gumaste*



*A. M. M.*  
*21/6/2017*  
**य. अ. अ. अ.**  
सार्वजनिक न्याय नॉटरी कार्यालय  
कालना विभाग, जालना

*21.6.2017*

Copy Prepared by -  
Copy Read by -  
Copy Verified by -

*M. H. M.*  
**Dr. Mohd. Furqan Mohd. Yusuf**  
DEAN/ PRINCIPAL  
DKMM Homoeopathic Medical  
College & Hospital, Aurangabad